बेगूसराय समाहरणालय
(जिला राजस्व शाखा)
सिमरिया मेला में विद्युत व्यवस्था हेतु
अल्पकालीन निविदा

सिमरिया मास मेला –2014 दिनांक 8.10.2014 से दिनांक 17.11.2014 तक आयोजित किया जायेगा। मेला क्षेत्र काफी विस्तृत होने के कारण बृहत पैमाने पर विधुत संबंधित कार्यों की व्यवस्था की जानी है। इसके लिए 23.09.2014 को 01.00 बजे अप0 तक विधुत व्ययवस्था से संबंधित कार्यो के लिए अलग–अलग वित्तीय एवं तकनीकि निविदा आमंत्रित की जाती है। यह निविदा जिला राजस्व शाखा में निर्धारित अवधि तक जमा की जा सकती है। निविदा उसी दिन 3.00 बजे अप0 में जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। निविदा समाप्ति के पश्चात चयनित निविदादाता को एकरारनामा प्रस्तुत करने के पश्चात कार्यादेष निर्गत किया जायेगा।

चयनित निविदादाता द्वारा संध्या 6.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक निर्वाध रूप से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिष्चित कराना होगा। जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को ध्वनि विस्तारक यंत्र हेतु एवं प्रषासनिक भवन में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिष्चित करना होगा। कार्य के दौरान विद्युत तार (मुख्य लाइन 7/22 एवं ब्रॉच लाईन 3/22) केबूल सकल इन्सुलेटर के साथ लगाया जायेगा। सतह के उपर कम से कम 20 फीट (उॅचा) लकड़ी का पोल, सकल इन्सुलेटर हर पोल पर लगेगा। 40 फीट जी0 आई0 पाईप गाड़कर आवष्यक जगहों पर अरथिंग जोड़ा जायेगा। मेन स्वीच 100 एम्पीयर, 60 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, 15 एम्पीयर एवं कट–आउट सर्किट लगाना अनिवार्य होगा। सभी तार के जोड़ पर टी0भी0सी0 इन्सुलेटिंग टैपर लगाना होगा। विधुत संबंधित **''सुरक्षा प्रमाण–पत्र''** कार्यपालक अभियंता, विधुत आपूर्ति प्रमंडल, बरौनी से लेना सुनिष्चित करेगें। हर कैम्पस में स्वीच बोर्ड लगाना होगा एवं पूरे मेला अवधि के दौरान एक पर्यवेक्षक एवं दो लाईसेंसधारी वायरमैन को रखना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्तिधारी विधुत ठीकेदार निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी। निविदा समाप्ति के पश्चात चयनित निविदादाता को एकरारनामा प्रस्तुत करने के पश्चात कार्यादेष निर्गत किया जायेगा।

संवेदक को विधुत व्यवस्था हेतु अस्थायी रूप से विधुत कनेक्षन लेकर मीटर लगाना होगा। सिमरिया मेला–2013 में अनुमानित विधुत यूनिट व्यय लगभग 23,000 कि0वाट रहा है। विधुत संवेदक सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में सम्पूर्ण मेला अवधि तक पर्याप्त मात्रा में रौषनी आपूर्ति करना सुनिष्चित करेगें। विधुत संवेदक मेला परिसर के महत्वपूर्ण/मुख्य स्थलों पर मोबाईल चार्जिंग पोइंट लगाना सुनिष्चित करेगें। संख्या 6.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक मेला परिसर में लगातार एक जेनेरेटर निर्वाध रूप से कार्य करेगा। ताकि बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद भी पर्याप्त रोषनी उपलब्ध हो सके। विधुत संवेदक अंचल अधिकारी बरौनी के निर्देषानुसार बिजली की व्यवस्था उपलब्ध कराना सुनिष्चित करेगें।

विद्युत व्यवस्था कार्य :–

क्र0	सामग्री	सम्पूर्ण मेला अवधि के लिए प्रतिदिन	दर	
			अंक में	शब्द में
1.	सी0एफ0एल0 24 वाट	150 प्रति		
2.	ट्यूब लाईट	1500 प्रति		
3.	हेलोजन बल्ब	30 प्रति		
4.	पंखा सिलिंग	15 प्रति		
5.	पंखा पेडेस्टल	20 प्रति		
6.	भेपर (मेटल लाईट)	24 प्रति		
7.	हेलोजन	30 प्रति		
8.	जेनरेटर 5 के0वी0 प्रतिदिन प्रति अदद (ईंधन+भाड़ा+मजदूर सहित)	.....		
9	अस्थायी विधुत कनेक्षन एवं विधुत यूनिट व्यय KW/ प्रतिदिन का दर			

तकनीकि निविदा के अन्तर्गत निम्नांकित दस्तावेज/कागजात अलग–अलग समर्पित करना आवश्यक है।

(1) तकनीकि निविदा की शर्त्त :–

1. फर्म को बिहार वाणिज्य एवं सेवा कर से निबंधित होने का प्रमाण पत्र, वैट नम्बर तथा आयकर नम्बर देना होगा। साथ ही अद्यतन आयकर, वाणिज्यकर एवं सेवा कर जमा करने की विवरणी की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. तकनीकी निविदा के साथ मो0–10,000/– (दस हजार) रूपये का अग्रधन के रूप में जिला नजारत, बेगूसराय में जमा कर निविदा के साथ नाजिर रसीद लगाना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को अपने फर्म के संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म किसी भी स्तर से काली सूची में दर्ज नहीं की गयी है।
4. निविदादाता को यदि कार्य आवंटित होता है, तो निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा, अन्यथा कार्यादेश को रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी तथा फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. निविदादाताओं का चरित्र उत्तम एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए।
6. निविदादाताओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
7. भुगतान के समय देय कर की राशि की कटौती श्रोत पर नियमानुसार कर ली जायेगी। भुगतान की कार्रवाई सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर जाँचोपरांत की जायेगी। कार्य आवंटन होने के पश्चात जिला प्रशासन द्वारा आदेशित कार्य स्थल पर निर्धारित समय पर सामग्री उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय/मजदूरी अलग से देय नहीं होगा।

(2) वित्तीय निविदा की शर्त्त :–

1. कार्यादेश के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति समय सीमा के अन्दर अपने व्यय से आदेशित स्थल पर उपलब्ध कराना होगा।
2. सभी सामग्रियों का दर सभी कर सहित देना होगा।
3. कार्यालय द्वारा क्रय किये गये निविदा प्रपत्र पर ही दर का उल्लेख अंक एवं शब्द में करना होगा।
4. आवंटन विभाग से प्राप्त होने पर ही देय राशि का भुगतान किया जायेगा। अपरिहार्य कारण से भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नहीं होगा।

अन्य शर्ते :–

1. आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित आपूतिकर्त्ता की जिम्मेवारी होगी।
2. बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने, निविदा के शर्त्तो को संशोधित करने, कार्यहित में एक से अधिक एजेन्सी के बीच कार्यो को बाँटने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित होगा। समय सीमा के अन्दर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुए मेला कार्य में बाधा पहुँचाने हेतु नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करते हुए जमानत/अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी।

निविदा की शर्त्ते एवं अन्य विस्तृत विवरणी किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय कार्य अवधि में जिला राजस्व शाखा, बेगूसराय/जिला वेवसाईट http://www.begusarai.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

उपर्युक्त वर्णित निविदा को बिना कारण बताये स्थगित/निलंबित अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

समाहर्त्ता, बेगूसराय।

बेगूसराय समाहरणालय
(जिला राजस्व शाखा)
सिमरिया मेला में टेन्ट, शामियाना, उपस्कर आदि हेतु
अल्पकालीन निविदा

सिमरिया मास मेला –2014 दिनांक 8.10.2014 से दिनांक 17.11.2014 तक आयोजित किया जायेगा। मेला क्षेत्र काफी विस्तृत होने के कारण बृहत पैमाने पर टेन्ट, शामियाना, उपस्कर आदि संबंधित कार्यों की व्यवस्था की जानी है। इसके लिए 23.09.2014 को 01.00 बजे अप0 तक टेन्ट, शामियाना, उपस्कर आदि से संबंधित कार्यो के लिए अलग–अलग वित्तीय एवं तकनीकि निविदा आमंत्रित की जाती है। यह निविदा जिला राजस्व शाखा में निर्धारित अवधि तक जमा की जा सकती है। निविदा उसी दिन 3.00 बजे अप0 में जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। निविदा समाप्ति के पश्चात चयनित निविदादाता को एकरारनामा प्रस्तुत करने के पश्चात कार्यादेष निर्गत किया जायेगा।

संवेदक निम्नलिखित सामग्रियों के उपलब्धता के अनुसार सम्पूर्ण मेला अवधि के लिए आवष्यक चीजों की व्यवस्था अंचल अधिकारी बरौनी के निर्देषानुसार व्यवस्था करना सुनिष्चित करेगें। टेन्ट लगाने के पूर्व स्थल की साफ सफाई भलीभांति कर लेगें।

संवेदक टेन्ट शामियाना, पंडाल आदि का **''सुरक्षा प्रमाण–पत्र''** कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेगूसराय से लेना सुनिष्चित करेगें। सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में मेला अवधि के अंतिम तारीख 17.11.14 तक टेन्ट, शामियाना, उपस्कर आदि का उचित रख–रखाव एवं मेन्टेनेस कार्य संवेदक का होगा।

टेन्ट, शामियाना, उपस्कर आदि कार्य :–

सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में आवश्यकतानुसार टेन्ट, शामियाना एवं अन्य उपस्कर समेकित रूप से निविदादाता को उपलब्ध कराना होगा, जिसमें निम्नलिखित सामग्री सम्पूर्ण मेला अवधि तक लगाना है :–

क्र0	सामग्री	सम्पूर्ण मेला अवधि के लिए प्रतिदिन	दर	
			अंक में	शब्द में
1.	वाटर प्रुफ पंडाल साईज (I) (150 x 40 = 6000) (II) (100x40=4000)	10000 वर्ग फीट (I+II)		
2.	डेरा – 41	(20x20 फीट प्रति डेरा)		
3.	टेन्ट – 08	(**20x15** फीट प्रति टेन्ट)		
4.	कुर्सी	200 प्रति		
5.	टेबूल एवं टेबूल क्लॉथ सहित	22 प्रति		
6.	चौकी, तोशक, मसलंग, बेडसीट, दरी, सोफा	आवश्यकतानुसार		
7.	वॉच टॉवर	04 प्रति		
8.	तोरण द्वार	05 प्रति		
9.	शामियाना	प्रति वर्ग फीट–प्रतिदिन (भाड़ा+मजदूर सहित)		
10.	ननवाटर प्रुफ पंडाल (40'X40')	प्रति वर्ग फीट–प्रतिदिन (भाड़ा+मजदूर सहित)		
11.	कनात	प्रति वर्ग फीट–प्रतिदिन (भाड़ा+मजदूर सहित)		
12.	जाजिम	प्रति वर्ग फीट–प्रतिदिन (भाड़ा+मजदूर सहित)		
13.	त्रिपाल	प्रति वर्ग फीट–प्रतिदिन (भाड़ा+मजदूर सहित)		
14.	गद्दा	प्रति वर्ग फीट–प्रतिदिन (भाड़ा+मजदूर सहित)		
15.	सिलंग कपड़ा	प्रति वर्ग फीट–प्रतिदिन (भाड़ा+मजदूर सहित)		

16.	मशलंद	प्रति पीस–प्रतिदिन (भाड़ा+मजदूर सहित)		
17.	कारपेट	प्रति वर्ग फीट–प्रतिदिन (भाड़ा+मजदूर सहित)		
18.	टेबुल क्लॉथ	प्रति पीस–प्रतिदिन (भाड़ा+मजदूर सहित)		
19.	बेडसीट	प्रति पीस–प्रतिदिन		
20.	तकिया	प्रति पीस–प्रतिदिन		
21.	ननवाटर प्रुफ साईड घेरा	प्रति वर्ग फीट–प्रतिदिन (भाड़ा+मजदूर सहित)		
22.	कुर्सी प्लाटिक	प्रति पीस–प्रतिदिन (भाड़ा+मजदूर सहित)		
23.	भी0आई0पी0 कुर्सी	प्रति पीस–प्रतिदिन (भाड़ा+मजदूर सहित)		
24.	टेबुल फाईवर	प्रति पीस–प्रतिदिन (भाड़ा+मजदूर सहित)		
25.	टेबुल लोहा	प्रति पीस–प्रतिदिन (भाड़ा+मजदूर सहित)		
26.	सोफा सेट	प्रति पीस–प्रतिदिन (भाड़ा+मजदूर सहित)		
27.	जग	प्रति पीस–प्रतिदिन (भाड़ा+मजदूर सहित)		
28.	ग्लास	प्रति पीस–प्रतिदिन (भाड़ा+मजदूर सहित)		
29.	बाल्टी	प्रति पीस–प्रतिदिन (भाड़ा+मजदूर सहित)		
30.	पानी ड्रम	प्रति पीस–प्रतिदिन		
31.	फोल्डिंग बेड	प्रति पीस–प्रतिदिन		
32.	चौकी	प्रति पीस–प्रतिदिन		
33.	वेरिकेटिंग	प्रति पीस–प्रतिदिन		

तकनीकि निविदा के अंतर्गत निम्नांकित दस्तावेज/कागजात अलग–अलग समर्पित करना अपेक्षित है।

(1) तकनीकि निविदा की शर्त्त :–

1. फर्म को बिहार वाणिज्य एवं सेवा कर से निबंधित होने का प्रमाण पत्र, वैट नम्बर तथा आयकर नम्बर देना होगा। साथ ही अद्यतन आयकर, वाणिज्यकर एवं सेवा कर जमा करने की विवरणी की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. तकनीकि निविदा के साथ मो0–10,000/– (दस हजार) रूपये का अग्रधन के रूप में जिला नजारत, बेगूसराय में जमा कर निविदा के साथ नाजिर रसीद लगाना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को अपने फर्म के संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म किसी भी स्तर से काली सूची में दर्ज नहीं की गयी है।
4. निविदादाता को यदि कार्य आवंटित होता है, तो निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा, अन्यथा कार्यादेश को रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी तथा फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. निविदादाताओं का चरित्र उत्तम एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए।
6. निविदादाताओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
7. भुगतान के समय देय कर की राशि की कटौती श्रोत पर नियमानुसार कर ली जायेगी। भुगतान की कार्रवाई सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर जाँचोपरांत की जायेगी। कार्य आवंटन होने के पश्चात जिला प्रशासन द्वारा आदेशित कार्य स्थल पर निर्धारित समय पर सामग्री उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय/मजदूरी अलग से देय नहीं होगा।

(2) वित्तीय निविदा की शर्त्त :–

1. कार्यादेश के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति समय सीमा के अन्दर अपने व्यय से आदेशित स्थल पर उपलब्ध कराना होगा।
2. सभी सामग्रियों का दर सभी कर सहित देना होगा।
3. कार्यालय द्वारा क्रय किये गये निविदा प्रपत्र पर ही दर का उल्लेख अंक एवं शब्द में करना होगा।
4. उल्लिखित दर में किसी प्रकार का ओवर राईटिंग किये जाने पर उस मद का दर मान्य नहीं होगा।
5. आवंटन विभाग से प्राप्त होने पर ही देय राशि का भुगतान किया जायेगा। अपरिहार्य कारण से भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नहीं होगा।

अन्य शर्ते :–

1. आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित आपूतिकर्त्ता की जिम्मेवारी होगी।
2. बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने, निविदा के शर्त्तो को संशोधित करने, कार्यहित में एक से अधिक एजेन्सी के बीच कार्यो को बाँटने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित होगा। समय सीमा के अन्दर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुए मेला कार्य में बाधा पहुँचाने हेतु नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करते हुए जमानत/अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी।

निविदा की शर्त्ते एवं अन्य विस्तृत विवरणी किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय कार्य अवधि में जिला राजस्व शाखा, बेगूसराय/जिला वेवसाईट http://www.begusarai.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

उपर्युक्त वर्णित निविदा को बिना कारण बताये स्थगित/निलंबित अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

समाहर्त्ता, बेगूसराय।

समाहरणालय बेगूसराय
(जिला राजस्व शाखा)
तकनीकी निविदा का प्रपत्र

1. निविदाकर्त्ता का नाम एवं पता	
2. सम्पर्क सूत्र	
दूरभाष संख्या	
फैक्स संख्या	
ई–मेल	
मोबाईल नं0	
3 बिहार वैट निबंधन पत्र एवं बैट नम्बर	
4 आयकर पैन नम्बर/टेन नम्बर	
5 सर्विस टैक्स नम्बर	
6 Shop & Establishment act Registration No.	
7 लघु औधागिकी इकाई होने का प्रमाण–पत्र (यदि लघु औधोगिक इकाई होने का दावा किया गया हो।	
8 पूर्व में किए गए कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र	
9 जिला नजारत बेगूसराय में जमा की गई मो0 10,000/– अग्रधन राषि की नाजिर रसीद की छायाप्रति	
10 अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण–पत्र	
11 अद्यतन वैट चुकता प्रमाण–पत्र	
12 काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र	

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर,
(मुहर सहित)